



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 फरवरी, 2021-माघ-30, शके 1942

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम) CIN: U40109MP2001SGC014880

#### मुख्य अभियन्ता ( योजना एवं रूपांकन )

जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी, 2021

क्र.04-02/195/यो.रूपां./551.—यह कि केंद्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा-67 (2) एवं धारा-176 (2) ड. के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (डीमूड ट्रांसमिशन लाईसेंसी) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अतिउच्चदाब विद्युत उपकेंद्रों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने, राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेंद्रों के बीच अतिउच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्सम्पर्क स्थापित करने एवं विद्यमान पारेषण प्रणाली को सुदृढीकरण के उद्देश्य से 220 एवं किलोवोल्ट पारेषण लाइनों एवं संबंधित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजनायें स्वीकृत की हैं।

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है:-

- (1) नाम : ये परियोजना 220 किलोवोल्ट (के. व्ही.) लाइन व संबंधित कार्यों के निर्माण की परियोजना कहलायेगी.
- (2) परियोजनाओं का विवरण : परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लंबाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है:-

#### (I) 220 के.व्ही. लाईन का निर्माण कार्य :-

1. 220 के.व्ही. उपकेंद्र इंदौर (नार्थ जोन) लीलो पाइंट से 765 के.व्ही. उपकेंद्र पीजीसीआईएल इंदौर तक 220 के. व्ही. डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य, लंबाई 11 कि.मी., अनुमानित लागत-16.07 करोड़ रु.

#### (II) कुल अनुमानित लागत :-

उपरोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग रु. 16.07 करोड़ है.

#### (3) टॉवर, खंभे, तार आदि लगाने का अधिकार :

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी.

विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टॉवर, खंभे, तार, दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम 1885 (1885 का 13) के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रखरखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के संबंध में प्राप्त हैं।

(4) एतद् द्वारा मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचारपत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं।

**एस. के. गायकवाड़,**

मुख्य अभियंता (मा. संसा. एवं प्रशा.),  
मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड,  
शक्ति भवन, रामपुर-जबलपुर.

(682-बी.)

### नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद जाकिर पिता मोहम्मद सिद्दीक मेरे पुत्र मोहम्मद ज़ैद की ओर से सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का नाम वर्तमान में कई दस्तावेजों में मो. ज़ैद अंकित है तथा उसे इस नाम से जाना एवं पहचाना जाता है जिसे तत्काल प्रभाव से परिवर्तित कर मोहम्मद ज़ैद पिता मोहम्मद जाकिर किया जाता है. अब से मेरे पुत्र को मोहम्मद ज़ैद पिता मोहम्मद जाकिर के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

**मोहम्मद जाकिर,**

पिता-मोहम्मद सिद्दीक,  
147, मदीना नगर, इंदौर (म.प्र.).

(683-बी.)

### नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद जाकिर पिता मोहम्मद सिद्दीक मेरे पुत्र मोहम्मद जुनैद की ओर से सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का नाम वर्तमान में कई दस्तावेजों में मो. जुनैद अंकित है तथा उसे इस नाम से जाना एवं पहचाना जाता है जिसे तत्काल प्रभाव से परिवर्तित कर मोहम्मद जुनैद पिता मोहम्मद जाकिर किया जाता है. अब से मेरे पुत्र को मोहम्मद जुनैद पिता मोहम्मद जाकिर के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

**मोहम्मद जाकिर,**

पिता-मोहम्मद सिद्दीक,  
147, मदीना नगर, इंदौर (म.प्र.).

(684-बी.)

### CHANGE OF NAME

I here by declare that before marriage my name was Jyotsna Mangtani D/o Jethanand Mangtani. After Marriage I have changed my name as Ridhi Daryani W/o Manish Daryani.

Old Name :

**( JYOTSNA MANGTANI )**

(686-B.)

New Name :

**( RIDHI DARYANI )**

Address-4-5, Omkareshwar Bhawan,  
Laxman Nagar, Bairagarh,  
Bhopal (M.P).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरे पुत्र का जन्म दिनांक 14-07-2016 को कमलाराजा हॉस्पिटल में हुआ था, उस समय जन्म प्रमाण-पत्र में उसका नाम रिन्शु अर्गल रखा गया था जिसे मैं, परिवर्तित कर अपने पुत्र का नाम पवित अर्गल रखना चाहता हूँ. आज दिनांक से मेरे पुत्र को पवित अर्गल के नाम से जाना-पहचाना जाये.

**महेश कुमार,**

सिद्धार्थ नगर, थाटीपुर,  
ग्वालियर.

(687-बी.)

**नाम परिवर्तन**

मैं, गोपाल भारती सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का बचपन का नाम लख्मी चन्द बैरवा उसकी प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी एवं अन्य दस्तावेजों में गलती (भूलवश) से लिखा गया था. जोकि बचपन का नाम और गलत है तथा बैरवा हमारी जाति है. इसलिए मेरे पुत्र का नाम लख्मीचन्द बैरवा के स्थान पर सिद्धार्थ भारती बदलकर, अब से पूरा सही एवं नया नाम सिद्धार्थ भारती (SIDDHARTH BHARTI) लिखा, पढ़ा और पुकारा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

(688-बी.)

**गोपाल भारती,**  
वार्ड नं. 08, बैरवा कॉलोनी,  
ग्राम-नयागांव (ढोंढपुर), पोस्ट फिलोजपुरा,  
तहसील बड़ोदा, जिला श्योपुर (म.प्र.).

**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, शादी पूर्व मेरा उपनाम अलका जैन पिता पदम चन्द जैन (शेयर सर्टिफिकेट व मार्कशीट में) था, जिसे शादी के बाद परिवर्तित करके अलका बड़जात्या पति नितिन बड़जात्या कर लिया है, अतः शेयर सर्टिफिकेट सहित मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम अलका बड़जात्या से ही लिखा व पढ़ा जावे.

(695-बी.)

पुराना नाम :  
( अलका जैन )  
( ALKA JAIN )

नया नाम :  
( अलका बड़जात्या )  
( ALKA BADJATIYA )  
पता- 335 एम.जी. रोड, मल्हारगंज,  
इंदौर (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा नाम जितेन्द्र रघुवंशी है, जो कि मेरे बच्चों के समस्त दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु मेरे पुत्र अंश रघुवंशी के पासपोर्ट में मेरा नाम जितेन्द्र कुमार रघुवंशी लिखा हुआ है, जो कि मेरा घरेलू नाम है, अतः मेरे पुत्र के पासपोर्ट सहित उसके सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे नाम जितेन्द्र रघुवंशी से ही लिखा व पढ़ा जावे.

(696-बी.)

पुराना नाम :  
( जितेन्द्र कुमार रघुवंशी )  
( JITENDRA KUMAR RAGHUWANSHI )

नया नाम :  
( जितेन्द्र रघुवंशी ),  
( JITENDRA RAGHUWANSHI )  
वार्ड नं. 22, ईशागढ़ मार्ग, एफ.सी.आई.,  
गोदाम के पास, अशोकनगर, (म.प्र.).

**CHANGE OF NAME**

I Ajit Wadhwani hereby declare that, I have changed my name as Ajit Kumar Wadhwani S/o Jaichand Wadhwani. So from now and in future, I will be known by my new name.

(697-B.)

Old Name :  
( AJIT WADHWANI )

New Name :  
( AJIT KUMAR WADHWANI )  
S/o Jaichand Wadhwani.  
62-A Saket Nagar, Near Saket Club,  
Indore (M.P).

**CHANGE OF SURNAME**

I, Kirtee Sawner hereby declare that my maiden name was Kirtee Sawner D/o Chhaganlal Sawner. After my marriage solemnized on 10-12-2013 with Shri Manish Chouhan, I have changed my name as Kirtee Chouhan. So, from now and in future I will be known as Kirtee Chouhan.

(698-B.)

Old Name :  
( KIRTEE SAWNER )

New Name :  
( KIRTEE CHOUHAN )  
Flat No. 607, Shellputri Sapphire,  
29-A, Sector-C, Scheme No.71,  
Indore (M.P).

**नाम परिवर्तन**

मैं, कमरूद्दीन पुत्र श्री जुम्मन खान सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम कमरूद्दीन है जबकि मेरे भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी क्रं. 200221868 में मेरा नाम KAMROO ABBAS लिखा गया है. जोकि गलत है वर्तमान में मुझे कमरूद्दीन (KAMRUDDIN) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा जाता है एवं मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में लिखा हुआ है, जो सही है अतः मेरी भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी क्रं. 200221868 में मेरा नाम KAMROO ABBAS के स्थान पर मेरा सही नाम कमरूद्दीन (KAMRUDDIN) लिखा एवं पढ़ा जावे, आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम :

**( KAMROO ABBAS )**

(550-बी.)

नया नाम :

**कमरूद्दीन,**

पुत्र-श्री जुम्मन खान,

पता- गड्ढे वाला मौहल्ला,

नाका चन्द्रवदनी, ग्वालियर (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम सुरेन्द्र सिंह बैस था, जिसे अब मैंने परिवर्तित करके सौरभ सिंह बैस कर लिया है. अतः मेरे नये-पुराने समस्त दस्तावेजों सहित मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम सौरभ सिंह बैस से ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

**( सुरेन्द्र सिंह बैस )****( SURENDRA SINGH BAIS )**

(699-बी.)

नया नाम :

**( सौरभ सिंह बैस )****( SOURABH SINGH BAIS )**

3/क फूलचंद बैस गली, वार्ड नं. 04,

मुंगावली, अशोक नगर (म.प्र.) 473443.

**नाम परिवर्तन**

मैं, मोहम्मद फारूख खान, निवासी 163, सिंधी कॉलोनी, गिर्द, ग्वालियर म.प्र. सत्यापित करता हूँ कि मेरी पुत्री का नाम तनवीर बुशरा कुरैशी है. जिसे मैं, परिवर्तित कराकर तनवीर खान कराना चाहता हूँ. भविष्य में मेरी पुत्री को तनवीर खान के नाम से ही जाना व पहचाना एवं पढ़ा जावे.

**मोहम्मद फारूख खान,**

निवासी-163, सिंधी कॉलोनी,

गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.).

(703-बी.)

**NOTICE****( U/s. 72 OF THE PARTNERSHIP ACT, 1932 )**

Notice is hereby given that in the firm M/s SHRI RAAJ RAJESHWARRI FLORA AND FAUNA ESTATES Registered Office at 14, White Church Colony, Residency Area Indore (M.P.) which was constiuted vide partnership deed executed on 10<sup>th</sup> February, 2014 and the initial partners were 1. Smt Gayatri Devi Jaiswal W/o Late Shri Kamal Kumar Jaiswal, 2. Shri Rahul Jaiswal S/o Shri Kamal Kumar Jaiswal, 3. Smt Namrata Jaiswal W/o Rahul Jaiswal.

In this firm subsequently following changes have occurred on 1<sup>st</sup> April 2019. Smt. Namrata Jaiswal W/o Shri Rahul Jaiswal Voluntarily retired from the firm w.e.f. 1<sup>st</sup> April 2019.

Now present partners of the firm w.e.f. 1<sup>st</sup> April 2019 are 1. Smt Gayatri Devi Jaiswal W/o Late Shri Kamal Kumar Jaiswal, 2. Shri Rahul Jaiswal S/o Shri Kamal Kumar Jaiswal.

For-M/s Shri Raaj Rajeshwarri Flora And Fauna Estates,

**RAHUL JAISWAL,**

(Partner).

(700-B.)

**NOTICE****(U/s. 72 OF THE PARTNERSHIP ACT, 1932)**

Notice is hereby given that in the firm M/s RAAJ RAJESHWARRI DEVELOPERS Registered Office at 14, White Church Colony, Residency Area Indore (M.P.) which was constituted vide partnership deed executed on 1<sup>st</sup> November, 2007 and the initial partners were 1. Smt. Gayatri Devi Jaiswal W/o Late Shri Kamal Kumar Jaiswal, 2. Shri Rahul Jaiswal S/o Shri Kamal Kumar Jaiswal, 3. Smt. Namrata Jaiswal W/o Rahul Jaiswal.

In this firm subsequently following changes have occurred on 1<sup>st</sup> April 2019. Smt. Namrata Jaiswal W/o Shri Rahul Jaiswal Voluntarily retired from the firm w.e.f. 1<sup>st</sup> April 2019.

Now present partners of the firm w.e.f. 1<sup>st</sup> April 2019 are 1. Smt Gayatri Devi Jaiswal W/o Late Shri Kamal Kumar Jaiswal, 2. Shri Rahul Jaiswal S/o Shri Kamal Kumar Jaiswal.

For-M/s RAAJ RAJESHWARRI DEVELOPERS,

**RAHUL JAISWAL,**

(Partner).

(701-B.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सिद्धांत मिनरल्स फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 06/11/03/00056/14 दिनांक 24-07-2014 पता- ग्राम पंचायत खुटेही, तहसील पवई, जिला पन्ना (म.प्र.) है यह कि फर्म की रचना में परिवर्तन करते हुये दिनांक 27-11-2020 से फर्म के नये पार्टनर के रूप में पार्टनर न. 03 श्यामेन्द्र सिंह, पार्टनर न.04 अतुल सिंह, पार्टनर न.05 प्रान्जल श्रीवास्तव, पार्टनर न.06 सुभाष सिंह, पार्टनर न.07 शिवम सिंह, पार्टनर न. 07 प्रिंस तिवारी, दिनांक 27-11-2020 से फर्म में शामिल हो गये है.

द्वारा—मेसर्स सिद्धांत मिनरल्स,

**श्रीकांत दीक्षित,**

(पार्टनर).

ग्राम पंचायत खुटेही, तहसील पवई,

जिला पन्ना (म.प्र.).

(692-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स लक्ष्मी हाट बेकर्स पता प्लाट नं. 5, सेक्टर-एफ इंडस्ट्रियल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल 462003 जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0284/20 सन् 2020-2021 दिनांक 25-11-2020 है. दिनांक 4 जनवरी, 2021 को फर्म में श्री नरेन्द्र कुमार वेगवानी आत्मज बख्खतराम बेगवानी आयु 55 वर्ष, निवासी एफ-152, फ्लैट क्रमांक 7, चिनार अपार्टमेंट, अरेरा कॉलोनी, भोपाल- 462016 नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे है तथा बाकी भागीदार यथावत रहेंगे. आमजन एवं सर्वजन को सूचित हो.

मेसर्स लक्ष्मी हाट बेकर्स,

**संजय कुमार तलरेजा,**

(पार्टनर).

(690-बी.)

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शगुन सेल्स फर्म जिसका पता- 26-27, इन्द्रप्रस्थ टावर, एम.जी. रोड, इंदौर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00142/07 दिनांक 09-01-2007 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसमें नीचे दिए गए संशोधन हुए:-

स्व. श्री प्रकाशचंद मेहता पिता श्री चिमनलाल मेहता की जगह उनकी पत्नी श्रीमती कुमुद मेहता पति स्व. श्री प्रकाशचंद मेहता एवं श्री जयेश व्यास पिता श्री लक्ष्मीनारायण व्यास की जगह उनकी पत्नी श्रीमती शिल्पा व्यास पति श्री जयेश व्यास को दिनांक 13-05-2020 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा भागीदार बनाया गया. यह विदित हो.

तर्फे-मेसर्स शगुन सेल्स,

1. अभिषेक तिवारी, 2. लक्ष्मीनारायण व्यास,

3. कुमुद मेहता, 4. शिल्पा व्यास,

(पार्टनर).

(691-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स भगवान फार्म्स (M/s Bhagwan farms) पंजीयन नम्बर 03/27/01/0090/20 व पता 405, राजानी भवन, 569/2, एम. जी. रोड, इन्दौर है. जिसमें पंजीयन के समय दो भागीदार 1. चंद्र गोयल पिता श्री विष्णुप्रसाद गोयल, 2. श्री रवि गोयल पिता श्री विष्णुप्रसाद गोयल थे. दिनांक 18-01-2019 को फर्म में एक नए साझेदार श्री वी. पी. गोयल

पिता श्री घीसालाल गोयल ने सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की जिसपर शेष भागीदारों ने अपनी सहमति प्रदान कर दी साथ ही फर्म के एक भागीदार श्री चंद्र गोयल पिता श्री विष्णुप्रसाद गोयल ने फर्म से रिटायर होने की इच्छा जाहिर की जिसे शेष भागीदारों ने स्वीकार कर लिया. अतः वर्तमान में फर्म में 2 भागीदार 1. श्री रवि गोयल पिता श्री विष्णुप्रसाद गोयल, 2. श्री वी. पी. गोयल पिता श्री घीसालाल गोयल हैं. जो आमजन व सर्वजन को सूचित हों.

फर्म-मेसर्स भगवान फार्मर्स,

**वी. पी. गोयल,**

(पार्टनर)

पता-81, जानकी नगर मेन, इन्दौर.

(702-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स शिवाय इंटरनेशनल जो जय अम्बे धर्मकाटा उन्नाव रोड, दतिया में स्थित है. जिसका पंजीयन क्रमांक 02/39/01/0148/18, दिनांक 28-09-2018 है. जिसमें दिनांक 27-01-2021 को भागीदार 1. श्री नवप्रीत सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह, निवासी 83-सी, जवाहर कॉलोनी, ग्वालियर, 2. सुखविंदर कौर पत्नि श्री निर्मल सिंह, निवासी महावीर पुरा, मुरैना, 3. श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री भूपिंदर सिंह, निवासी बृजमोहर कॉलोनी, तहसील अवोहर, जिला फजिलका, 4. श्री संजीव कुमार पुत्र श्री सुरिन्दर कुमार, निवासी वार्ड नं. 03, तह. मोनक खनसुरी मण्डी सनगरूर पंजाब, 5. श्री दीपक लाम्बा पुत्र श्री रोशन लाल लाम्बा, निवासी जामा मस्जिद वाली गली फिरोजपुर कलान, फिरोजाबाद जोकि फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-मैसर्स शिवाय इंटरनेशनल,

**रमेश चन्द्र तिवारी,**

(भागीदार)

जय अम्बे धर्मकाटा उन्नाव रोड, दतिया.

(705-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स आईविश रिटेल, इन्दौर जिसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 03-10-2017 क्रमांक 03/27/01/0168/17 है. जो 501, प्रिंसेस एंपायर, 6/12, रेस कोर्स रोड, इन्दौर में स्थित है. भागीदारी पत्रक दिनांक 06-02-2017 से प्रभावशील है. जिसमें दिनांक 31-03-2020 को भागीदार श्री रोहित खंडेलवाल पिता श्री प्रकाश खंडेलवाल जी, निवासी भोपाल, भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो चुके हैं एवं इसी दिनांक को नए भागीदार श्री दिनेश गोयल पिता श्री रमेश चंद्र गोयल, निवासी इन्दौर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया है. आमजन एवम् सर्वजन को सूचित हो.

फॉर-मेसर्स आईविश रिटेल,

**हर्षवर्धन धाकड़,**

(भागीदार)

501, प्रिंसेस एंपायर, 6/12,

रेस कोर्स रोड, इन्दौर.

(706-बी.)

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

**न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी मन्दसौर, जिला मंदसौर**

प्र.क्र. /बी-113(1)/2017-18.

**नियम-चार**

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर के **समक्ष.**

चूंकि खाटुश्याम मंदिर ट्रस्ट यशनगर संजीत रोड, अजय अस्पताल के पास मंदसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम-1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची ने लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 20 फरवरी, 2021 को विचार के लिये जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती हूँ.

अतः मैं, वीरप्रताप सिंह पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 20 जनवरी, 2021 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा.

### संपत्ति का विवरण

लोक न्यास का नाम व पता :	खादुश्याम मंदिर ट्रस्ट यशनगर संजीत रोड.
(अ) अचल सम्पत्ति :	निरंक.
(ब) चल सम्पत्ति :	IDBI Bank Account Number 0345104000130516 RS. 90879.00
	IDBI Bank Account Number 0345104000148016 RS. 202335.00
	<u>293214.00</u>

वीरप्रताप सिंह,

(83)

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

### न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील शहर वृत्त, जिला-भोपाल

क्र.195/री-1/न.श./2021.

भोपाल, दिनांक 03 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

1. आवेदक श्री मो. जावेद खान आ. स्व. अख्तर हुसैन खान व श्रीमती फरजाना खान पत्नी श्री मो. जावेद खान, निवासीगण 4, गली नं. 5, जगन्नाथ कॉलोनी, अब्दुल कलाम पार्क के पास ऐशबाग, भोपाल द्वारा "लाइफ होप ट्रस्ट" को ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 23 फरवरी, 2021 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञापित के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

### अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता :	"लाइफ होप ट्रस्ट".
कार्यालय का पता :	4, गली नं. 5, जगन्नाथ कॉलोनी, ऐशबाग भोपाल.
अचल सम्पत्ति :	कुछ नहीं.
चल सम्पत्ति :	7,000/- (रुपये सात हजार).

जमील खान,  
रजिस्ट्रार.

(84)

### न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर (नगरीय) एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला-सतना

#### प्रारूप क्र. 4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक सतना जिला के समक्ष.

यतः कि श्री मनमोहन माहेश्वरी तनय स्व. ओमप्रकाश माहेश्वरी एवं अन्य निवासी सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 19 फरवरी, 2021 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम : “केशव बलिराम हेडगेवार सेवा प्रकल्प”.
2. न्यास का पता : नारायण कुटी, कृष्णनगर सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.).
3. अचल संपत्ति : ग्राम कोलगवां की आ. नं. 404/1क/39 रकबा 0.022 हे. अनुमानित मूल्य 45,00,000.00
4. चल संपत्ति : 11,000.00 रुपये.

### प्रारूप-5

[देखें नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक सतना के **समक्ष**,

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं, राजेश शाही, लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 19 फरवरी, 2021 को कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 19 फरवरी, 2021 के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

राजेश शाही,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(93 )

### अन्य सूचनाएं

**कार्यालय, परिसमापक प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., मुबारकपुर माण्डली**

दिनांक 27 जनवरी, 2021

[नियम-57(ग) के तहत दावें एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप]

क्र./2021./क्यू 01.—यह कि प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., मुबारकपुर माण्डली पंजीयन क्रमांक 1682, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर उप/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक/परि./2020/1057, दिनांक 27 जून, 2020 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुये प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., मुबारकपुर माण्डली, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1682, दिनांक 22 दिसम्बर, 2012 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे नियम-57(ग) की इस सूचना-पत्र के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्या नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी.

आर. के. रैकवाल,

परिसमापक.

(85)



**कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन**

उज्जैन, दिनांक 18 जनवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./शासमु./क्यू/2021.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्र.1484, दिनांक 03 जुलाई, 2013 के द्वारा मुझे दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नारायणखेड़ी, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (पंजीयन क्रमांक 1921/04-12-2014) का परिसमापक नियुक्त किया है।

अतः मैं, एस. के. मालवीय, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़ चल-अचल सम्पत्तियां या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो, तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 18 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

(86)

**एस. के. मालवीय,**  
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

**कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन**

उज्जैन, दिनांक 28 जनवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/161.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1454, दिनांक 31 अगस्त, 2019 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोयलाबुर्जग जिसका पंजीयन क्रमांक 1764, दिनांक 29 सितम्बर, 2011 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. जी. ब्यास, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(87)

उज्जैन, दिनांक 30 जनवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/192.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 741, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिरोलाकला जिसका पंजीयन क्रमांक 1897, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती प्रेरणा जोमेकर, उप. अंके. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(88)

उज्जैन, दिनांक 30 जनवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/193.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2825, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा शीतला माता बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, रजला जिसका पंजीयन क्रमांक 2174, दिनांक 20 अगस्त, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एन. मेहता, स.नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(89)

उज्जैन, दिनांक 30 जनवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/194.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2825, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा श्री माँ उमिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, बड़ागाँव जिसका पंजीयन क्रमांक ....., दिनांक ..... को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एन. मेहता, स.नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(90)

ओ. पी. गुप्ता,  
उप-पंजीयक.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 फरवरी, 2021-माघ-30, शके 1942

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकी सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 13 जनवरी, 2021

1. **मौसम एवं वर्षा**—प्रायः राज्य में मौसम मेधाळादित रहा. राज्य के कुछ जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है. संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में प्रतिवेदित किया गया है.

2. **प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव** :-राज्य के कुछ जिलों में जुलाई चालू है.
3. **बोनी पर वर्षा का प्रभाव** :- राज्य के कुछ जिलों में बोनी चालू है.
4. **धानरोपाई पर वर्षा का प्रभाव** :-रोपाई बन्द है.
5. **खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव** :-कोई प्रभाव प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
6. **कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव** :-कोई प्रभाव नहीं.
7. **अन्य असामयक घटना से क्षति** :-कोई क्षति नहीं.
8. **फसल स्थिति** :-जिलों से प्राप्त पत्रकों में फसल स्थिति संतोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
9. **सिंचाई**:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अপর्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है.
10. **पशुओं की स्थिति**:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
11. **चारा** :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
12. **बीज**:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
13. **खेतिहर श्रमिक** :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.





1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
8.	गुना :	गुना राघोगढ़ बमोरी आरोन चाचौड़ा मकसूदनगढ़ कुम्भराज	.. .. 4.0 .. .. .. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	गेहूँ चना राई-सरसों मसूर अन्य	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त, .. ..	6.(ब)अच्छी. .. ..	7. पर्याप्त. .. ..	8. पर्याप्त. .. ..
9.	टीकमगढ़ :	जतारा टीकमगढ़ बल्देवगढ़ पलेरा खरगापुर मोहनगढ़ लिधौरा	.. .. 2.0 .. 4.0 .. .. .. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	गेहूँ जो चना मटर मसूर राई-सरसों	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	अधिक अधिक अधिक अधिक कम	0.05 0.02 2% 2% 2%	सामान्य समान समान सामान्य सामान्य	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त, .. ..	6.(ब)अच्छी. .. ..	7. पर्याप्त. .. ..	8. पर्याप्त. 0		
10.	निवाड़ी :	निवाड़ी पृथ्वीपुर ओरछा	.. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. ..	.. .. राई-सरसों गेहूँ जौ चना	.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	.. .. अधिक कम कम	.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	5. . . .	6.(अ). . .. ..	6.(ब). . .. ..	7. . . .	8. . . .		
11.	छतरपुर :	गौरीहार नौगांव छतरपुर राजनगर बिजावर बड़ा मलहरा महाराजपुर चंदला धुवारा लवकुशनगर बक्सवाहा	.. ..	जुताई चालू बोनी चालू .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	.. ..	.. ..	गेहूँ चना राई-सरसों जौ	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त, .. ..	6.(ब)अच्छी. .. ..	7. पर्याप्त. .. ..	8. पर्याप्त. .. ..			



























1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
52.	बालाघाट :		..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	सामान्य	..	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
	बालाघाट		..	..	..	..	..	चना	..	..	समान	..	समान	..	..	..	..	..	..
	लाँजी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	किरनापुर		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बैहर		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	वारासिवनी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	कटंगी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	लालबर्वा		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	तिरोडी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	परसवाड़ा		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बिरसा		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	खैरलाँजी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

(94)

ओ. पी. बाथम,  
प्रभारी सहायक-आयुक्त,  
वास्ते-आयुक्त,  
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.